न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-01/2021-22

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

संजय पाहन उर्फ संजय मुण्डा – विक्रेता
राम निर्मल कैथा – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

26.07.21

आदेश

आवेदक संजय पाहन उर्फ संजय मुण्डा पिता स्व0 एतवा पाहन उर्फ एतवा मुण्डा ग्राम–एरेण्डा, पो0–बिरहू, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने राम निर्मल कैथा पिता स्व0 फौदा कैथा ग्राम–गड़ीगाँव, थाना–खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
एरेण्डा	240	30	115	0.03½

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 0539741015 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 562 दिनांक 22.07.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम वकाशत मालिक नाम लगान पाने वाल शामीलात मालीकान हैं। पंजी II के अनुसार फौदा पाहन के नाम भूमि का 2.79½ एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 1.39½ एकड़ भूमि के आलावे अन्य खात 5,11,56,69,87 रकबा 1.30 एकड़ भूमि कुल रकबा 2.69½ एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020–21 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित 79017.00(उन्नासी हजार सत्तरह)रू0 प्रति डीसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.66 एकड़ रह जाती है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण संजय पाहन उर्फ संजय मुण्डा पिता स्व0 एतवा पाहन उर्फ एतवा मुण्डा को राम निर्मल कैथा पिता स्व0 फौदा कैथा के साथ ग्राम एरेण्डा के खाता सं0 30 खेसरा संख्या 115 कुल रकबा 0.03½ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 79017.00(उन्नासी हजार सत्तरह)रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2021.08.03 13:06:10 +05:30
Location: 10.93.43.4

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

26/07/21

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

26/07/21

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।